बिहार सरकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0 3600 पटना, दिनांक– 05.05.2015

सरकार की राय में राज्य के किसानों को अपनी उपज का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा गेहूँ की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है।

2. रब्बी विपणन मौसम 2015–16 के अन्तर्गत **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था** के माध्यम से गेहूँ की अधिप्राप्ति करने हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया जाता है एवं बिहार राज्य खाद्य निगम तथा पैक्स को अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया जाता है । बिहार राज्य खाद्य निगम, प्रत्येक प्रखंड में अपने क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूँ अधिप्राप्ति करेगा । प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) द्वारा किसानों से गेहूँ का क्रय कर बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से अधिप्राप्ति का कार्य सम्पादित किया जायेगा । बिहार राज्य खाद्य निगम, पैक्सों द्वारा खरीदे गये गेहूँ एवं अपने क्रय केन्द्रों पर किसानों से खरीदे गये गेहूँ की गुणवत्ता की जाँच कर उक्त गेहूँ का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत किया जायेगा।

3- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार के पत्र सं0 4(3)/2014 पी0वाई0 –I दिनांक – 12.11.2014 के द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2015–16 के अन्तर्गत गेहूँ का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् है :–

	(रूपये प्रति क्वींटल)
गेहूँ	1450.00

4. रब्बी विपणन मौसम 2015–16 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक– 05.05.2015 से 31.07.2015 तक के लिए प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–22/2015– 3600 खाद्य, पटना/दिनांक – 05.05.15
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना–7 को अनुलग्नक सहित सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए गजट की एक सौ प्रतियॉ अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :– दो हार्ड प्रति एवं एक सी.डी.

सरकार के सचिव ।

D:\Section 10\2013\Sec_4\RMS 15-16 - Copy.doc

Government of Bihar
Food & Consumer Protection Department.

NOTIFICATION

G.S.R................................Patna, dated................................

WHEREAS the Government is of the opinion that for ensuring the MSP to farmers and for securing the availability and supply of Wheat in the State it is necessary and expedient to establish procurement centres.

2. Bihar State Food Corporation is designated as the Nodal Agency for the procurement of wheat under Decentralised Procurement Scheme for Rabi Marketing Season 2015-16 and Bihar State Food Corporation and Primary Agriculture credit Societies (PACS) are authorized as procuring agencies for the procurement of Wheat during Rabi Marketing season 2015-16. Bihar State Food Corporation will procure Wheat through its purchase centres in each block of the State. Primary Agriculture credit Societies (PACS) shall also purchase wheat from farmer and perform the procurement exercise through Bihar State Food Corporation. Bihar State Food Corporation will utilize the procured wheat from PACS and through its own Purchase Centers, under TPDS in the light of allocation made by Govt. of India.

3. Vide letter no. 4(3)/2014 - PY. - I dated 12.11.2014 of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Food & Public Distribution Department) Government of India, New Delhi, the Minimum Support Price of wheat for Rabi Marketing Season 2015-16 has been fixed as follows :-

		(in Rs. per quintal)
Wheat	**-**	**1450.00**

4. Wheat procurement programme during Rabi Maraketing Season 2015-16 will be effective **form 05.05.2015 to 31.07.2015.**

By the Order of Governor of Bihar.

(Pankaj Kumar)
Secretary.

D:\Section 10\2013\Sec_4\RMS 15-16 - Copy.doc